संख्या–4/1/2002 टी.सी.–1–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनॉक 28.04.2012

विषय : पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2608/2011 में दिनॉक 27.04.2012 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2608/2011 एवं अन्य याचिकाओं में दिनॉक 27.04.2012 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्येष्ठता नियमावली के नियम 8–क तथा आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) के सम्बन्ध में आदेश पारित किये हैं, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करते हुये आपको अलग से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। जबतक आपको इस विषय पर विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित न कर दिये जाये तब तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की जाये तथा कार्मिक विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाये।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 नियुक्ति–2012–(139)–2000 प्रतियां (क0/आफसेट)।